राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांकःप.1(2)नविवि/3/66 पार्ट जयपुर,दिनांक 18 NOV 2021

अधिसूचना

विभागीय समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 06.10.2021 के क्रम में राजस्थान नगर सुधार अधिनियम 1959 के अधीन बनाये गये राजस्थान नगर सुधार (सामान्य) नियम 1962 के नियम 4 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 7 के अनुसरण में विभागीय अधिसूचना दिनांक 31.5.2013 द्वारा अधिसूचित भरतपुर शहर के नगरीय क्षेत्र के लिए तैयार किये गये मास्टर प्लान–2023 का अनुमोदन किया जा चुका है। नगर विकास न्यास भरतपुर के न्यास मण्डल की बैठक दिनांक 28.10.2021 में न्यास क्षेत्राधिकार में तैयार किये गये जोनल डवलपमेंट प्लान के संबंध में एवं न्यास मण्डल द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि भरतपुर मास्टर प्लान–2023 में मौके पर किये गये निर्माण के मध्यनजर मास्टर प्लान में संशोधन किया जाना अपेक्षित है उपरोक्तानुसार न्यास के परिचलन प्रस्ताव में लिये गये निर्णय एवं न्यास के प्रस्ताव अनुसार भरतपुर मास्टर प्लान–2023 में प्रस्तावित संशोधनों का अनुमोदन कर दिया गया है।

उक्त भरतपुर मास्टर प्लान–2023 (संशोधित) की प्रति का अवलोकन नगर विकास न्यास भरतपुर के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय समय में किया जा सकता है।

राज्यपाल की आज्ञा से

–sd–

(नवनीत कुमार)
संयुक्त शासन सचिव–द्वितीय

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. विशिष्ठ सचिव, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त विभाग, राजस्थान, जयपुर
5. जिला कलक्टर, भरतपुर।
6. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
7. सचिव, नगर विकास न्यास, भरतपुर।
8. वरिष्ठ नगर नियोजक, भरतपुर जोन, भरतपुर।
9. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग को अधिसूचना राजस्थान राजपत्र के असाधारण अंक दिनांक 18.11.21 में प्रकाशन हेतु ऑनलाईन भिजवाये जाने एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
10. रक्षित पत्रावली।

18/11/2021

संयुक्त शासन सचिव द्वितीय